

संस्था  
का  
ज्ञापन (घोषणा-पत्र)  
तथा नियम

MEMORANDUM  
OF  
ASSOCIATION AND RULES

2020



भारतीय लोक प्रशासन संस्थान  
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली-110002

**INDIAN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION**  
Indraprastha Estate, Ring Road, New Delhi-110002

---

## प्रज्ञा प्रज्ञा

मुझे 31 अक्टूबर 2020 को यथा संशोधित, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के संस्था का ज्ञापन (घोषणा-पत्र) और नियमावली प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। कुछ नियमों में संशोधन किया गया है। कुछ नियमों को हटाया गया है जो इस प्रकार हैं :

- संस्थान के सभापति (नियम 8) तथा कार्य परिषद् के अध्यक्ष (नियम 9) से संबंधित नियमों में संशोधन कर भारत के माननीय उपराष्ट्रपति को भा.लो.प्र.स. का सभापति (पदेन) तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के प्रभारी केन्द्रीय राज्यमंत्री को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के कार्य परिषद् का अध्यक्ष (पदेन) बनाया गया है।
- संस्थान के निदेशक से संबंधित नियम 12 में संशोधन कर उन्हें महानिदेशक पद नामित किया गया है। (नया नियम संख्या 10) एतदनुसार संस्था के ज्ञापन में अन्य स्थानों पर भी निदेशक का पदनाम बदलकर महानिदेशक कर दिया गया है।
- नियम 10, 10(क), 11, 14, 15, 18(क), 19(ख), 19(क) तथा 30(2) हटा दिए गए हैं।
- कार्यकारी परिषद् के संघटन, कार्यकारी परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता और गणपूर्ति से संबंधित नियम 13 में संशोधन किया गया है। (नया नियम सं. 11)
- कार्यकारी परिषद् की शक्तियाँ और कार्यों से संबंधित नियम 17(2)अपपप में संशोधन किया गया है। (नया नियम सं. 13(2) (viii))
- संस्थान के सभापति द्वारा सामान्य सभा की विशेष बैठक बुलाने से संबंधित नियम 21 में संशोधन किया गया है। (नया नियम सं. 16)।
- सामान्य सभा की बैठक की अध्यक्षता से संबंधित नियम 22 में संशोधन किया गया है। (नया नियम सं. 17)।
- संस्थान के संस्था का ज्ञापन (घोषणा-पत्र) में कोई भी परिवर्तन करने से संबंधित नियम 36(1) में संशोधन किया गया है। (नया नियम सं. 32(1))।
- कुछ पूर्व नियमों को हटाने के कारण पूर्व व कुछ नियमों की संख्या में भी परिवर्तन हो सकता है।

संस्था के ज्ञापन (घोषणा-पत्र) में हाल में हुए संशोधन यथा "दि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में से "दि" हटा देना (2016) शाखाओं को स्वयं को ट्रस्ट/सोसाईटी के रूप में पंजीकृत करने से तथा अधिकार देने से संबंधित नियम को शामिल करना (2014) (नया नियम सं. 23) को भी शामिल करना है।

मैं आशा करता हूँ कि संस्था का संशोधित ज्ञापन (घोषणा-पत्र) तथा नियमावली भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की कार्यप्रणाली में उपयोगी सिद्ध होगी।



(सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी)  
महानिदेशक

## **FOREWORD**

I am happy to present the Memorandum of Association and Rules of Indian Institute of Public Administration as amended on 31st October 2020. Some rules have been amended and some have been deleted which are as under:

- Rules related to the President of the institute (Rule 8) and Chairman of the Executive Council (Rule 9) have been amended making the Hon'ble Vice President of India as President of IIPA (ex-officio) and the incumbent Union Minister of State in charge of DoPT, Govt. of India as Chairman of IIPA Executive Council (ex-officio).
- Rule 12 related to Director has been amended making the designation Director General (New Rule No 10). The designation of Director has been changed to Director General elsewhere also in the MoA accordingly.
- Rules 10, 10A, 11, 14, 15, 18(a), 18(b), 19(a) and 30(2) have been deleted.
- Rule 13 related to the Composition of the Executive Council, presiding over the meetings of the Executive Council and quorum for meeting of Executive Council have been amended (New Rule No.11).
- Rule 17(2)(viii) related to Powers and functions of Executive Council has been amended {New Rule No.13(2)(viii)}.
- Rule 21 regarding calling Special Meeting of the General Body by the President of the Institute has been amended (New Rule No.16).
- Rule 22 regarding presiding over the meeting of the General Body has been amended (New Rule No.17).
- Rule 36(1) for bringing any changes in MoA of the Institute has been amended (New Rule No.32(1)).
- The earlier No of some Rules may also have changed owing to the deletion of some earlier rules.

The recent amendments to the MoA like dropping of 'The' from 'The Indian Institute of Public Administration' (2016) and incorporating the Rule related to giving the powers to Branches to registered themselves as Trust/Societies (2014) (New Rule No.23) have also been incorporated.

I hope, the amended Memorandum of Association and Rules will be useful your reference and smooth functioning of IIPA.



(Surendra Nath Tripathi)  
Director General

संस्कृतस्य प्रथमं प्रकरणं प्रथमं प्रकरणं प्रथमं

## 1860 का अधिनियम 21

1953-54 की अधिसूचना संख्या एस 718

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को संस्थाओं के पंजीकरण अधिनियम 21, वर्ष 1860 के अधीन आज पंजीकृत किया गया है।

आज तेरह मार्च एक हज़ार नौ सौ चौवन के दिन दिल्ली में मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

पंजीकरण शुल्क 50 रु० का भुगतान किया गया।

ह० /—(बी० आर० सेट)

13.3.54

संयुक्त पूंजी कम्पनियों के पंजीयक,  
दिल्ली।

## **Certificate of Registration of Societies**

ACT XXI OF 1860

NO.S.718 OF 1953-54

I hereby certify that Indian Institute of Public Administration has this day been registered under the Societies Registration Act XXI of 1860.

Given under my hand at Delhi this Thirteenth day of March, one thousand nine hundred fifty four.

Registration fee Rs.50 paid.

Sd/-

(B.R. SETH)

13-3-54

Registrar of Joint Stock Companies,  
Delhi.

अधिसूचना 21] 1860 & पंजीकरण अधिनियम]  
वैधानिक लोक प्रशासन अधिनियम,  
लोक  
भारतीय लोक प्रशासन अधिनियम के भाग के अंतर्गत

## लोक लोक प्रशासन (लोक प्रशासन) अधिनियम, 1860

- 1: संस्था का नाम भारतीय लोक प्रशासन संस्थान है।
- 1(क) संस्था का पंजीकृत कार्यालय दिल्ली राज्य में स्थापित होगा।
- 2: जिन उद्देश्यों हेतु संस्था का गठन किया गया, वे हैं—
  - (क) “लोक प्रशासन” तथा “लोक प्रशासन और सरकारी तंत्र” के विशिष्ट संदर्भ में अर्थशास्त्र तथा राजनीति विज्ञान के अध्ययन को तथा उसके आनुवंशिक शैक्षणिक उद्देश्यों को बढ़ावा देना तथा उनकी व्यवस्था;
  - (ख) लोक प्रशासन तथा सरकारी तंत्र से संबंधित शिक्षा पाठ्यक्रमों, सम्मेलनों, व्याख्यानों तथा अनुसंधानों का उत्तरदायित्व लेना, उन्हें आयोजित करना तथा उन्हें सुसाध्य बनाना;
  - (ग) लोक प्रशासन में प्रशिक्षण देने तथा लोक प्रशासन की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पत्रिकाओं, पुस्तकों तथा शोध लेखों के प्रकाशन का कार्यभार तथा उसकी व्यवस्था;
  - (घ) लोक प्रशासन का अध्ययन तथा उससे संबंधित सूचना प्रसारण सुसाध्य बनाने के लिए पुस्तकालयों तथा सूचना सेवा की स्थापना तथा सुधारण;
  - (ङ) संस्था के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत में सुविधाजनक केन्द्रों पर क्षेत्रीय शाखाएं स्थापित करना अथवा स्थापना प्रेरित करना;
  - (च) लोक प्रशासन के उद्देश्यों में सहायता के प्रायोजन हेतु मान्यता प्राप्त संस्थानों तथा समितियों से सहयोग;
  - (छ) उक्त उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने हेतु धन और निधि के लिए अपील तथा आवेदन प्रसारित करना तथा नकद और प्रतिभूतियों तथा अन्य चल अथवा अचल सम्पत्ति का दान, चन्दा या उपहार स्वीकार करना;

In the matter of Act XXI of 1860 being an Act for the Registration of Literary, Scientific and Charitable Societies, and

In the matter of "Indian Institute of Public Administration"

## **MEMORANDUM OF ASSOCIATION**

**1.** The name of the Society is "Indian Institute of Public Administration".

**1 (A).** That the Registered Office of the Society shall be situated in Delhi State.

**2.** The objects for which the Society is formed are:

- i.** to promote and provide for the study of Public Administration and economic and political science with special reference to public administration and the machinery of government and for educational purposes incidental thereto;
- ii.** to undertake, organise and facilitate study courses, conferences and lectures and research in matters relating to public administration and the machinery of government;
- iii.** to undertake and provide for the publication of a journal and of research papers and books to impart training in and promote study of public administration;
- iv.** to establish and maintain libraries and information services to facilitate the study of public administration and spreading information in regard thereto;
- v.** to constitute or cause to be constituted Regional Branches at convenient centres in India to promote the objects of the Society;
- vi.** to cooperate with approved institutions and bodies for the purposes of helping the cause of public administration;
- vii.** to issue appeals and application for money and funds in furtherance of the said objects and to accept gifts, donations and subscription of cash and securities and of any property either movable or immovable;

- (ज) संस्था की निधि और धन से संबंधित कार्य करना तथा उसका निवेश करना;
- (झ) संस्था को आगे बढ़ाने हेतु आवश्यक अथवा सुविधाजनक किसी भी चल अथवा अचल सम्पत्ति को दिल्ली में अथवा दिल्ली से बाहर, स्थायी रूप से अथवा अस्थायी रूप से प्राप्त करना, खरीदना अथवा अन्य किसी भी प्रकार से अपने स्वामित्व में लेना—पट्टे पर या किराये पर;
- (ञ) संस्था के उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने हेतु संस्था की सम्पूर्ण अथवा कोई भी चल अथवा अचल सम्पत्ति बेचना, बंधक रखना, पट्टे पर देना, विनियमित करना अथवा अन्यथा हस्तारित करना या विहित करना;
- (ट) संस्था के उद्देश्यों के लिए आवश्यक अथवा सुविधाजनक किन्हीं भी भवनों अथवा निर्माण कार्यों का निर्माण, अनुरक्षण, रूपांतरण, सुधार अथवा विकास;
- (ठ) किसी अक्षयनिधि अथवा न्यासनिधि या दान का प्रबंधन स्वीकार करना तथा उसका उत्तरदायित्व लेना;
- (ड) संस्था के कर्मचारियों के लाभ के लिए भविष्य निधि स्थापित करना;
- (ढ) संस्था के उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए पारितोषिक देना तथा छात्रवृत्तियाँ और वजीफे देना;
- (ण) ऐसे सभी उचित उपाय करना जो उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक या सहवर्ती हैं।

3. कार्य-परिषद् के प्रथम सदस्यों के नाम, पता तथा व्यवसाय, जिन्हें संस्था के नियमों के अनुसार इसके कार्यों का प्रबंध सौंपा गया है, इस प्रकार हैं:

क्रम  
सं०

नाम

पद

व्यवसाय तथा पता

- |    |                    |  |  |
|----|--------------------|--|--|
| 1. | पं० जवाहरलाल नेहरू | संस्थान के अध्यक्ष तथा कार्य परिषद् के पदेन सदस्य। | भारत के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री निवास, नई दिल्ली। |
|----|--------------------|--|--|

- viii.** to invest and deal with funds and money of the Society;
  - ix.** to acquire, purchase or otherwise own or take on lease or hire in the State of Delhi or outside, temporarily or permanently, any movable or immovable property necessary or convenient for the furtherance of the Society;
  - x.** to sell, mortgage, lease, exchange and otherwise transfer or dispose of all or any property, movable or immovable, of the Society for the furtherance of the objects of the Society;
  - xi.** to construct, maintain, alter, improve or develop any buildings or works necessary or convenient for the purposes of the Society;
  - xii.** to undertake and accept the management of any endowment or trust fund or donation;
  - xiii.** to establish a provident fund for the benefit of the employees of the Society;
  - xiv.** to offer prizes and to grant scholarships and stipends in furtherance of the objects of the Society; and
  - xv.** to do all such other lawful things as conducive or incidental to the attainment of the above objects.
- 3.** Names, addresses and occupations of the first members of the Executive Council to whom by the Rules of the Society, the management of its affairs is entrusted are as follows:

Sl. No.	Name	Designation	Occupation and Address
	Pandit Jawaharlal Nehru	President of the Institute and ex-officio Member of the Executive Council	Prime Minister of India, Prime Minister's House, New Delhi.

2.	श्री वी० टी० कृष्णमाचारी	कार्य परिषद् के अध्यक्ष ।	उपाध्यक्ष, योजना आयोग, 11 यार्क रोड, नई दिल्ली ।
3.	श्री सी० डी० देशमुख	संस्थान के उपाध्यक्ष तथा कार्य परिषद् के पदेन सदस्य ।	भारत के वित्त मंत्री, विलिंग्डन क्रीसेन्ट, नई दिल्ली ।
4.	डा० बी० सी० रॉय	तथैव	मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता ।
5.	डा० के० एन० काटजू	तथैव	भारत के गृहमंत्री, 1 क्वीन विक्टोरिया रोड, नई दिल्ली ।
6.	श्री यू० एन० धेबर	तथैव	मुख्यमंत्री, सौराष्ट्र सरकार, राजकोट ।
7.	पं० एच० एन० कुन्जरू	तथैव	सदस्य राज्यसभा, 18 फिरोजशाह रोड, नई, दिल्ली ।
8.	श्री गुरुमुख निहाल सिंह	तथैव	अध्यक्ष, दिल्ली राज्य विधानसभा, 13/5, रूप नगर, दिल्ली ।
9.	श्री एस० बी० बापत	संस्थान के मानद कोषाध्यक्ष तथा कार्य परिषद् के पदेन सदस्य ।	संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, स्थापना अधिकारी, निदेशक, संगठन एवं पद्धति संभाग, 1 तुगलक रोड, नई दिल्ली ।

## Memorandum of Association and Rules

---

- |    |                           |   |   |
|----|---------------------------|---|---|
| 2. | Shri V. T. Krishnamachari | Chairman of the Executive Council   | Deputy Chairman, Planning Commission, 11 York Road, New Delhi.  |
| 3. | Shri C.D. Deshmukh        | Vice President of the Institute and ex-officio Member of the Executive Council      | Finance Minister of India, Willington Crescent, New Delhi.  |
| 4. | Dr. B.C. Roy              | -do-  | Chief Minister, West Bengal Government, Calcutta.   |
| 5. | Dr. K.N. Katju            | -do-  | Home Minister of India, 1 Queen Victoria Road, New Delhi.   |
| 6. | Shri U.N. Dhebar          | -do-  | Chief Minister, Saurashtra Government, Rajkot.  |
| 7. | Pandit H.N. Kunzru        | -do-  | Member, Council of states, 18 Ferozshah Road, New Delhi.  |
| 8. | Shri Gurmukh Nihal Singh  | -do-  | Speaker, Delhi State Assembly, 13/V, Roop Nagar, Delhi.   |
| 9. | Shri S.B. Papat           | Honorary Treasurer of the Institute and ex-officio Member of the Executive Council. | Joint Secy., Ministry of Home Affairs, Establishment Officer, Director of Organization and Methods Division, 1 Tughlak Road, New Delhi. |

10. श्री वाई० एन० सुखटणकर कार्य परिषद् के सदस्य मंत्रिमंडलीय सचिव, तथा सचिव, योजना आयोग, 3 क्वीन्सवे, नई दिल्ली।
11. श्री रामुन्नी मेनन तथैव मुख्य सचिव, मद्रास सरकार, मद्रास।
12. श्री ए०के० चन्दा तथैव सचिव, उत्पादन मंत्रालय, पदनामित महालेखापरीक्षक, 5 सुनहरी बाग रोड, नई दिल्ली।
13. श्री एन०वी० मोदक तथैव विशेष अभियन्ता, महत्तर मुंबई योजना, मर्केन्टाइल बैंक बिल्डिंग्स, गांधी रोड, मुंबई।
14. श्री बी० वेंकटपय्या तथैव कार्य निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई।
15. श्री माथुल्लाह तथैव लेखा नियंत्रक, सिन्धरी फर्टिलाइज़र फैक्टरी, सिंधरी (बिहार)।
16. श्री सी० एस० वेंकटाचार तथैव लेखा सचिव, राज्य मंत्रालय, 7 तुगलक रोड, नई दिल्ली।
17. श्री एन० के० सिद्धांत तथैव सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग, 29-30, वेस्टर्न कोर्ट, नई दिल्ली।

## Memorandum of Association and Rules

---

- |     |                       |                                 |   |
|-----|-----------------------|---------------------------------|---|
| 10. | Shri Y.N. Sukthankar  | Member of the Executive Council | Cabinet Secy., and Secy., Planning Commission, 3 Queensway, New Delhi.                  |
| 11. | Shri Ramunni Menon    | Member of the Executive Council | Chief Secy., Government of Madras, Madras.  |
| 12. | Shri A.K. Chanda      | -do-                            | Secy., Production Ministry, Auditor-General Designate, 5 Sonehri Bagh Road, New Delhi.  |
| 13. | Shri N.V. Modak       | -do-                            | Special Engineer, Greater Bombay Scheme, Mercantile Bank Buildings Gandhi Road, Bombay. |
| 14. | Shri B. Venkatappiah  | -do-                            | Executive Director, Reserve Bank of India, Bombay.                                      |
| 15. | Shri Mathullah        | -do-                            | Controller of Accounts, Sindhri Fertilizer Factory, Sindhri (Bihar).                    |
| 16. | Shri C.S. Venkatachar | -do-                            | Secy., Ministry of States, 7 Tughlak Road, New Delhi.                                   |
| 17. | Shri N.K. Sidhanta    | -do-                            | Member, Union Public Service Commission, 29-30, Western Court, New Delhi.               |

18.	श्री के० रघुरम्भैया	तथैव	संसद सदस्य, 13 फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
19.	श्री एच० एम० पटेल	तथैव	सचिव, कृषि तथा खाद्यान्न मंत्रालय, 2 रॉबर्ट्स रोड, नई दिल्ली।
20.	डा० श्रीमती सीता परमानन्द	तथैव	संसद सदस्य, 47 नार्थ एवेन्यु, नई दिल्ली।
21.	प्रो० एस०वी० कोगेकर	तथैव	राजनीति-शास्त्र के प्रोफेसर, 331/15, सदाशिव पेठ, पूना।
22.	प्रो० वी० के० एन० मेनन	कार्य परिषद् के सदस्य	राजनीति-शास्त्र के प्रोफेसर, पटना विश्वविद्यालय, पटना (बिहार)।
23.	श्री दीन दयाल शर्मा	तथैव	सचिव, नई दिल्ली नगरपा. लिका, नई दिल्ली।
24.	प्रो०डी०जी० कार्वे	संस्थान के निदेशक तथा कार्य परिषद् के पदेन सदस्य सचिव	निदेशक, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, योजना आयोग, 14 कान्स्टीट्यूशन हाउस, नई दिल्ली।

कार्य परिषद् के चार सदस्यों द्वारा सही प्रति के रूप में प्रमाणित संस्था के नियमों की एक प्रति संस्था के ज्ञापन के साथ पंजीयक, संयुक्त पूंजी कम्पनी, दिल्ली, के पास जमा कर दी गयी है।

हम, अनेक व्यक्ति जिनका नाम तथा पते नीचे दिया गया है तथा जिन्होंने संस्था के ज्ञापन में वर्णित उद्देश्यों के लिए स्वयं सहयोग किया है, यहां इस संस्था के ज्ञापन को अपना नाम देते हुए व्यक्तिशः अपने-अपने हस्ताक्षर करते हैं और मार्च, 1954 की इस तेरहवीं तारीख को नई दिल्ली में 1860 के अधिनियम 21 के अधीन स्वयं को संस्था के रूप में संगठित करते हैं।

## Memorandum of Association and Rules

---

- |     |                                   |  |  |
|-----|-----------------------------------|--|--|
| 18. | Shri K. Raghuramaya               | -do-   | Member of Parliament,<br>13 Ferozshah Road,<br>New Delhi.  |
| 19. | Shri H.M. Patel                   | -do-   | Secy., Ministry of Food<br>& Agriculture, 2 Roberts<br>Road, New Delhi.  |
| 20. | Dr. (Shrimati) Seeta<br>Parmanand | -do-   | Member of Parliament, 47<br>North Avenue, New Delhi.   |
| 21. | Prov. S.V. Kogekar                | -do-   | Professor of Politics,<br>331/5, Sadashiv Peth,<br>Poona.  |
| 22. | Prof. V.K.N. Menon                | -do-   | Professor of Politics,<br>Patna University, Patna<br>(Bihar)   |
| 23. | Shri Din Dayal Sharma             | -do-   | Secy., New Delhi<br>Municipal Committee,<br>New Delhi.   |
| 24. | Prof. D.G. Karve                  | Director of the<br>Institute and ex-<br>officio Member-<br>Secretary of<br>the Executive<br>Council. | Director, Programme<br>Evaluation Organization,<br>Planning Commission, 14,<br>Constitution House, New<br>Delhi. |

A copy of the Rules of the Society, certified to be a correct copy by four members of the Executive Council, is filed with the Registrar of Joint Stock Companies, Delhi, along with its Memorandum of Association.

We, the several persons whose names and addresses are given below, having associated ourselves for the purposes described in this Memorandum of Association, do hereby subscribe our names to this Memorandum of Association and set our several and respective hands hereunto and form ourselves into a society under Act XXI of 1860, this Thirteenth day of March, 1954, at New Delhi.

क्रम सं०	साक्षी	सदस्यों के नाम, पते तथा व्यवसाय	सदस्यों के हस्ताक्षर
1.		श्री डी० एल० मजूमदार, विशेष कर्त्तव्य अधिकारी, वित्त मंत्रालय, 1 सुनहरी बाग रोड, नई दिल्ली।	ह.
2.		श्री एस० जी० बर्वे, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, 6 रॉबर्ट्स लेन, नई दिल्ली।	ह.
3.		श्री पी० एन० थापर, सलाहकार, योजना आयोग, 22 विलिंग्डन क्रीसेन्ट, नई दिल्ली।	ह.
4.		श्री ए०वी० पाई, भारत सरकार के सचिव, गृह मंत्रालय, 9 यार्क रोड, नई दिल्ली।	ह.
5.		श्री जे० दयाल, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, 23 सफदरजंग रोड, नई दिल्ली।	ह.
6.		श्री ए० अप्पादोरई, महासचिव, विश्व मामलों की भारतीय परिषद्, 112 बाबर रोड, नई दिल्ली।	ह.
7.		श्री जी० एल० बंसल, संसद सदस्य तथा सचिव, भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ, 29 फिरोज़शाह रोड, नई दिल्ली।	ह.
8.		श्री बी० जी० मुर्देश्वर, संयुक्त सचिव, विधि मंत्रालय, 14 रॉबर्ट्स लेन, नई दिल्ली।	ह.

<b>S. No.</b>	<b>Witness</b>	<b>Name, Address and Occupation of Members</b>	<b>Signature of Members</b>
1		Shri D.L. Majumdar Officer on Special Duty, Ministry of Finance 1 Sonehri Bagh Road New Delhi	Sd/-
2		Shri S.G. Barve, Jt. Secy., Ministry of Finance 6 Roberts Lane, New Delhi.	Sd/-
3		Shri P.N. Thapar, Adviser, Planning Commission 22 Willington Crescent New Delhi.	Sd/-
4		Shri A.V. Pai, Secy. to the Government of India Ministry of Home Affairs, 9 York Road, New Delhi	Sd/-
5.		Shri J. Dayal, Jt. Secy., Ministry of Finance, 23 Safdarjung Road, New Delhi.	Sd/-
6.		Shri A. Appadorai Secy-General Indian Council of World Affairs 112 Babar Road, New Delhi.	Sd/-
7.		Shri G.L. Bansal Member of Parliament and Secretary Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry 28 Ferozshah Road, New Delhi.	Sd/-
8.		Shri B.G. Murdeshwar Joint Secretary Ministry of Law 14 Roberts Lane New Delhi.	Sd/-

## संस्कृत लोकोपनिषद् संस्कृत लोकोपनिषद्

### I. संस्कृत

1. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) “संस्थान” से भारतीय लोक प्रशासन संस्थान अभिप्रेत है;

(ख) “लोक सेवा” के अन्तर्गत संघ, राज्यों तथा भारत के विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के अधीन स्थापित स्थानीय तथा अन्य प्राधिकरणों के मामलों से संबंधित सेवायें सम्मिलित हैं;

(ग) “सामान्य सभा” से संस्थान की सामान्य सभा अभिप्रेत है;

(घ) “कार्य परिषद्” से संस्थान की कार्य परिषद् अभिप्रेत है;

(ङ.) “सदस्य” से अभिप्राय संस्थान के ऐसे सदस्य से है जिसे इन नियमों के अधीन संस्थान का सदस्य बनाया गया है परन्तु इसमें (“सामान्य सभा का सदस्य” की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त अन्यथा) निगमित सदस्य अथवा सह-सदस्य या छात्र सदस्य सम्मिलित नहीं हैं;

(च) “निगमित सदस्य” से अभिप्राय संस्थान के ऐसे निगमित सदस्य से है जिसे इन नियमों के अधीन निगमित सदस्य बनाया गया है;

(च.क) “सह-सदस्य” से अभिप्राय संस्थान के ऐसे सह-सदस्य से है जिसे इन नियमों के अधीन सह-सदस्य बनाया गया है;

(छ) “छात्र सदस्य” से अभिप्राय संस्थान के ऐसे छात्र सदस्य से है जिसे इन नियमों के अधीन छात्र सदस्य बनाया गया है;

(ज) “विहित” से अभिप्राय कार्य परिषद् द्वारा निर्मित उपविधि द्वारा विहित से है;

(झ) “शैक्षणिक कर्मचारी वर्ग” से अभिप्राय संस्थान के उन कर्मचारियों से है जो शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध अथवा परामर्श संबंधी कार्यों में कार्यरत हैं।

## **RULES OF THE INDIAN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION**

### **I. DEFINITION**

- 1.** In these Rules, unless the context otherwise requires:
  - (a) "The Institute" means Indian Institute of Public Administration;
  - (b) "The public service" includes the services in connection with the affairs of the Union, the States and Local and other authorities, established by law made by a legislature in India;
  - (c) "The General Body" means the General Body of the Institute;
  - (d) "The Executive Council" means the Executive Council of the Institute;
  - (e) 'Member' means a Member of the Institute, admitted as such under these Rules but does not include a Corporate Member, (except in the expression 'Member of the General Body') or an Associate Member or Student Member;
  - (f) "Corporate Member" means a Corporate Member of the Institute admitted as such under these Rules;
  - (f.a) "Associate Member" means an Associate Member of the Institute, admitted as such under these Rules;
  - (g) 'Student Member' means a Student Member of the Institute, admitted as such under these rules;
  - (h) "Prescribed" means prescribed by bye-law made by the Executive Council;
  - (i) "Academic Staff" means the employees of the Institute engaged in education, training, research or consultancy.

## II. ~~हिन्दू लोक कानून~~ ~~हिन्दू लोक कानून~~ ~~हिन्दू लोक कानून~~

2. सामान्य सभा— संस्थान की सामान्य सभा सदस्यों तथा निगमित सदस्यों से मिलकर बनेगी।

3. सदस्य— निम्नलिखित संस्थान के सदस्य होंगे—

(क) 1860 के अधिनियम के अधीन संस्थान के पंजीकरण की तारीख को जिन लोगों के नाम इस उद्देश्य के लिए तैयार की गयी संस्थान के सदस्यों की नामावली में सामान्य सदस्यों के रूप में दर्ज थे;

(ख) संस्थान के इस पंजीकरण के पश्चात् विहित प्रपत्र पर आवेदन करने पर जिन लोगों को कार्य परिषद् द्वारा संस्थान का सामान्य सदस्य बनाया गया; तथा

(ग) भविष्य में जिन लोगों को विहित फार्म पर आवेदन करने पर कार्य परिषद् द्वारा संस्थान का सदस्य बनाया जाये।

4. सदस्यता के लिए अर्हता— निम्नलिखित व्यक्ति सदस्य बनाये जाने के पात्र होंगे—

(क) कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्रशासनिक/प्रबंधकीय हैसियत से लोक सेवा में नियुक्त है अथवा नियुक्त था;

(ख) कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा लोक प्रशासन तथा प्रबंध विज्ञान में प्रशिक्षण और शोध में संलग्न सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में लोक प्रशासन अथवा संबंधित विषयों के अध्ययन अथवा शिक्षण में नियुक्त है अथवा नियुक्त था;

(ग) कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कार्य परिषद् की राय में: (अ) लोक प्रशासन के व्यवहार, अथवा (आ) लोक प्रशासन के अध्ययन तथा शोध में सक्रिय रूप से लिप्त अथवा कार्यरत है।

किन्तु कोई भी व्यक्ति तब तक सदस्य बनाये जाने का पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने ऐसी सदस्यता के अपने प्रार्थना पत्र के समय इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो।

## II. GENERAL BODY AND MEMBERSHIP

2. General body -- The General Body of the Institute shall be composed of Members and Corporate Members.
3. Member -- The following shall be Members of the Institute:
  - (i) Persons whose names were entered on Ordinary Members of the Institute on the Roll of Members of the Institute, maintained for the purpose at the date of the Registration of the Institute under Act of 1860;
  - (ii) Persons admitted by the Executive Council after such registration of the Institute as Ordinary Members of the Institute on application in the prescribed form: and
  - (iii) Persons hereafter admitted by the Executive Council as Members of the Institute on application in the prescribed form.
4. Qualification for Membership -- The Following persons shall be eligible for admission as Members:
  - (i) any person who is or was employed in the public services in an administrative/managerial capacity;
  - (ii) any person who is or was employed in the teaching or study of public administration or related subjects in a University, College or institution engaged in research and training in public administration and management recognised by Government; and
  - (iii) any person who, in the opinion of the Executive Council, is actively involved or engaged in (i) the practice of public administration or (ii) study and research in public administration.

Provided that no person shall be eligible for admission as Member, unless he has completed twenty-one years of age at the time of his application for such admission.

5. निगमित सदस्य – कार्य परिषद् विहित प्रपत्र पर आवेदन करने पर लोक सेवा के दायरे में आने वाले किसी संगठन के प्राधिकारी, ऐसी किन्हीं सेवाओं के किसी भी मान्यता प्राप्त सदस्य-संघ, लोक प्रशासन के अध्ययन में लगे हुए किसी विश्वविद्यालयीन विभाग या संस्थान, किसी साविधिक निगम, किसी संयुक्त पूंजी कम्पनी, किसी पंजीकृत संस्था अथवा किसी पंजीकृत व्यापारिक संगठन को ऐसी शर्तों पर जो प्रत्येक प्रकरण में निर्दिष्ट की जाये, संस्थान का निगमित सदस्य बना सकती है।

5(क) सह-सदस्य – कार्य परिषद् विहित प्रपत्र पर आवेदन करने पर उस व्यक्ति को संस्थान का सह-सदस्य बना सकती है, जिसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तथा जो लोक प्रशासन के अध्ययन अथवा व्यवहार से सक्रिय रूप से संबंधित हो अथवा अभिरुचि रखता हो। ऐसे सह-सदस्य के यथा विहित अधिकार तथा प्राधिकार होंगे।

5(ख) छात्र सदस्य- कार्य परिषद् विहित प्रपत्र पर आवेदन करने पर लोक प्रशासन के अध्ययन में रुचि रखने वाले प्रामाणिक स्नातकोत्तर छात्र को संस्थान का छात्र सदस्य बना सकती है। ऐसे छात्र सदस्य के यथा विहित अधिकार तथा प्राधिकार होंगे।

6. मानद सदस्य- कार्य परिषद् ऐसे किसी व्यक्ति को संस्थान का मानद सदस्य निर्वाचित कर सकती है जिसने लोक प्रशासन अथवा इस संस्थान या इसकी किसी शाखा के प्रति सुस्पष्ट सेवा अर्पित की हो। ऐसे मानद सदस्य के यथा-विहित अधिकार तथा प्राधिकार होंगे।

7. मानद-संवाददाता- कार्य परिषद् लोक प्रशासन के अध्ययन अथवा व्यवहार में अभिरुचि रखने वाले अथवा उससे सरोकार रखने वाले किसी भी विदेशी राज्य के किसी व्यक्ति अथवा निकाय को संस्थान के मानद-संवाददाता के रूप में आमंत्रित तथा नियुक्त कर सकती है।

5. Corporate Members – The Executive Council may, on application in the prescribed form, admit on such conditions as may be specified in each case, as a Corporate Member of the Institute, any authority of organisation within the public services, any approved association of members of any of such services, any University department or Institute devoted to the study of public administration, any statutory corporation, any joint stock company, any registered society, or any registered business establishment.

5A. Associate Members – The Executive Council, may on application in the prescribed form, admit as an Associate Member of the Institute a person who has completed 21 years of age and is actively interested or concerned in the practice or study of public administration. The rights and privileges of such Associate Member shall be as prescribed.

5B. Student Members – The Executive Council, may on application in the prescribed form, admit as a Student Member of the Institute a bonafide postgraduate student interested in the study of public administration. The rights and privileges of such Student Member shall be as prescribed.

6. Honorary Members – The Executive Council may elect as an Honorary Member of the Institute any person who has rendered conspicuous service to public administration or to the Institute or to any branch thereof. The rights and privileges of on Honorary Member shall be as prescribed.

7. Honorary Correspondents – The Executive Council may invite and appoint any person or body in any foreign State interested or concerned in the practice or study of public administration to be an Honorary Correspondent of the Institute.

### III. प्रक्रिया

8. संस्थान का सभापति — भारत के उपराष्ट्रपति संस्थान के सदस्य तथा संस्थान के पदेन सभापति होंगे। वह नियम 17 में यथाप्राविहित सामान्य सभा की बैठक तथा जब भी कार्य परिषद् की बैठक में उपस्थित होंगे, तब कार्य परिषद् की भी अध्यक्षता करेंगे।

9. संस्थान का अध्यक्ष — केंद्रीय राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, संस्थान के सदस्य तथा कार्य परिषद् के पदेन अध्यक्ष होंगे।

10. महानिदेशक —

(क) संस्थान का महानिदेशक कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा तथा उसकी कार्यावधि और सेवा की अन्य शर्तें यथाविहित होंगी।

(ख) महानिदेशक कार्य परिषद् का पदेन सदस्य—सचिव होगा।

(ग) कार्य परिषद् की नीतियों के नियमन से सदस्य सचिव के रूप में संबंधित महानिदेशक, संस्थान के प्रशासनिक प्रधान तथा शैक्षणिक संकाय के अग्रणी के नाते, उन नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तदायी होगा। महानिदेशक को वे समस्त शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जाएंगी जिन्हें कार्य परिषद् उसके उत्तरदायित्व के निष्पादन हेतु आवश्यक समझे।

### IV. कार्य परिषद्

11. कार्य परिषद् का गठन:

(1) संस्थान की कार्य परिषद् निम्नांकित से संघटित होगी:

- (i) भारत के उपराष्ट्रपति संस्थान के सभापति (पदेन);
- (ii) केंद्रीय राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, संस्थान कार्य परिषद् के अध्यक्ष (पदेन);
- (iii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीओओओ), नीति आयोग, भारत सरकार (पदेन);

### III. OFFICE BEARERS

8. President of the Institute: The Vice President of India shall be a Member of the Institute and Ex-officio President of the Institute. The President shall preside over the General Body Meeting as provided in Rule 17 and also the Executive Council whenever he/she is present at the Meeting of the Executive Council.

9. Chairman of the Institute: The incumbent Union Minister of State incharge of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Government of India shall be a Member of the Institute and Ex- officio Chairman of the Executive Council.

10. Director General:

- a. The Director General of the Institute shall be appointed by the Executive Council and his term of office and other conditions of service shall be such as may be prescribed.
- b. The Director General shall be the Member-Secretary of the Executive Council.
- c. While associated, as Member-Secretary with the formulation of the Council's policies, the Director General shall as administrative head of the Institute and leader of the academic faculty, be responsible for the implementation of those policies. The Director General shall be delegated all such powers as the Executive Council considers necessary for the discharge of his responsibility.

### IV. EXECUTIVE COUNCIL

11. Composition of the Executive Council:

(1) The Executive Council of the Institute shall be composed of:

- (i) The Hon'ble Vice President of India as the President of the Institute (ex-officio)
- (ii) Hon'ble Union Minister of State in charge of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India as the Chairman of the Executive Council (ex-officio);
- (iii) Chief Executive Officer (CEO), Niti Aayog, Govt. of India (ex-officio);

- (iv) सचिव ( कार्मिक), कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार (पदेन);
- (v) सचिव (व्यय), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (पदेन);
- (vi) निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी (पदेन);
- (vii) कार्य परिषद् द्वारा चक्रानुक्रम से पाँच क्षेत्रीय शाखाओं, भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी तथा उत्तर-पूर्वी-प्रत्येक जोन में से एक, जैसा निर्धारित होगा, के अध्यक्षों का दो वर्ष की अवधि के लिए सहयोजन (पदेन);
- (viii) कुलपति, पंजाब विश्वविद्यालय (पदेन);
- (ix) कार्य परिषद् द्वारा दो प्रख्यात व्यक्तियों का दो वर्ष की अवधि के लिए सहयोजन;
- (x) कार्य परिषद् द्वारा भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के एक संकाय सदस्य का दो वर्ष की अवधि के लिए सहयोजन;
- (xi) संस्थान के महानिदेशक (पदेन)।

(2) उपस्थित होने पर संस्थान के सभापति कार्य परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेंगे अथवा उनकी अनुपस्थिति में, अध्यक्ष कार्य परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, कार्य परिषद् अपने उपस्थित सदस्यों में से बैठक के लिए अध्यक्ष का चुनाव करेगी।

(3) कार्य परिषद् की बैठक के लिए गणपूर्ति (कोरम) पाँच सदस्य होगी।

12. कार्य परिषद् में कोई रिक्ति तथा इसके गठन में कोई दोष होते हुए भी कार्य परिषद् अपना कार्य करेगी तथा कार्य परिषद् का कोई भी कार्य अथवा कार्यवाही केवल इसके सदस्यों में कोई रिक्ति होने के कारण अथवा इसके गठन में कोई दोष होने के कारण अवैध नहीं होगी।

- (iv) Secretary (Personnel), Department of Personnel and Training, Govt. of India (ex-officio);
- (v) Secretary (Expenditure), Ministry of Finance, Govt. of India (ex-officio);
- (vi) Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussorrie (ex-officio);
- (vii) Chairmen of five Regional Branches to be co-opted in rotation by the Executive Council for a two year term, one each from North, South, East, West and North-East zones of India, as may be prescribed (ex-officio);
- (viii) Vice-Chancellor, Panjab University (ex-officio);
- (ix) Two eminent persons to be co-opted by the Executive Council for a two year term;
- (x) One IIPA faculty to be co-opted by the Executive Council for a two year term;
- (xi) Director General of the Institute (ex-officio);

(2), The President of the Institute whenever he is present shall preside over the meetings of the Executive Council or in his absence, the Chairman shall preside over the meetings of the Executive Council. In the absence of the Chairman, the Executive Council shall elect the Chairman for the meeting from amongst its members present.

(3). The quorum for the meeting of the Executive Council shall be Five members.

12. The Executive Council shall function notwithstanding any vacancy therein and notwithstanding any defect in its constitution and no act or proceeding of the Executive Council shall be invalid by reason only of the existence of any vacancy amongst its members or any defect in its constitution.

13. कार्य परिषद् की शक्तियाँ तथा कार्य:

(1) सामान्य सभा के सामान्य नियंत्रण तथा निर्देशों के अधीन कार्य परिषद् इन नियमों तथा इनके अधीन संस्थान के उद्देश्यों की अभिवृद्धि हेतु बनाए गए उपनियमों के अनुसार संस्थान के मामलों के प्रबंध तथा प्रशासन के लिये उत्तरदायी होगी तथा उसे वे समस्त अधिकार प्राप्त होंगे जो इस प्रायोजन हेतु आवश्यक अथवा वांछनीय हों।

(2) पूर्ववर्ती उपनियम द्वारा प्रदत्त सामान्य अधिकार के रहते हुए कार्य परिषद् के निम्नांकित अधिकार होंगे –

(क) सदस्यता के आवेदन—पत्रों पर निर्णय लेना;

(ख) संस्थान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिये विस्तृत योजनाएँ तथा कार्यक्रम तैयार करना तथा उन्हें कार्यान्वित करना;

(ग) संस्थान की निधि प्राप्त करना, उसकी अभिरक्षा करना तथा उसे विकसित करना और संस्थान की संपत्ति का प्रबंध करना;

(घ) संस्थान के कार्यों के कुशल प्रबंध के लिये अपेक्षित कर्मचारी नियुक्त करना तथा उनका नियंत्रण करना और उनकी भर्ती तथा सेवा की शर्तें विनियमित करना;

(ङ) संस्थान के लिये अथवा संस्थान की ओर से अनुबंध करना;

(च) संस्थान की ओर से सारी कानूनी कार्यवाईयाँ करना तथा उनका प्रतिवाद करना;

(छ) संस्थान के किसी भी कार्य को निपटाने तथा संस्थान से संबंधित किसी भी विषय में सलाह देने के लिये समितियाँ नियुक्त करना; तथा

(ज) संस्थान से संबंधित मामलों के विनियमन तथा इनके प्रबंधन एवं प्रशासन से संबंधित किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए तथा संस्थान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए उपनियम बनाना, अपनाना तथा उनमें परिवर्तन करना, विशेषतः कार्य परिषद्, क्षेत्रीय शाखाओं तथा स्थानीय शाखाओं एवं इसके द्वारा नियुक्त समितियों के कार्य संचालन तथा सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों को विनियमित करने हेतु, इसकी शक्तियों के प्रत्यायोजन, गणपूर्ति (कोरम) निश्चित करने तथा सह-योजन हेतु उपनियम बनाना, अपनाना तथा उनमें परिवर्तन करना।

13. Power and Function of the Executive Council:

- (1) Subject to the general control and directions of the General Body, the Executive Council shall be responsible for the management and administration of the affairs of the Institute in accordance with these Rules and the bye-laws made thereunder for the furtherance of its objects and shall have all powers which may be necessary or expedient for the purpose.
- (2) Without prejudice to the generality of the powers conferred by the foregoing sub-Rule, the Executive Council shall have the power:
  - (i) to take decision on application for membership;
  - (ii) to prepare and execute detailed plans and programmes for the furtherance of the objects of the Institute;
  - (iii) to receive, to have custody of and to expand the funds of the Institute and to manage the properties of the Institute;
  - (iv) to appoint and control such staff as may be required for the efficient management of the affairs of the Institute and to regulate their recruitment and conditions of service;
  - (v) to enter into agreement for and on behalf of the Institute;
  - (vi) to use and defend all legal proceedings on behalf of the Institute;
  - (vii) to appoint Committees for disposal of any business of the Institute or for advice in any matter pertaining to the Institute; and
  - (viii) to make, adopt and vary from time to time bye-laws for the regulation of and for any purposes connected with the management and administration of the affairs of this Institute and for furtherance of its objects, in particular to make, adopt and vary from time to time bye-laws for conducting the business of the Executive Council, the Regional Branches, the Local Branches and the Committees to be appointed by it, for regulating the right and privileges of Members, for delegation of its powers, for fixing the quorum and for co-option.

## V. संस्था की कार्यवाही संस्था की बैठकें

14. सामान्य सभा की वार्षिक सामान्य बैठक संस्थान के अध्यक्ष द्वारा संस्थान के सभापति की सहमति से बैठक की तारीख, समय, स्थान तथा चर्चित होने वाले कामकाज की सामान्य प्रकृति का कम-से-कम इक्कीस दिन का नोटिस देने के पश्चात्, प्रतिवर्ष सितम्बर या अक्टूबर के महीने में आमंत्रित की जायेगी। इसमें निम्नलिखित काम-काज किये जायेंगे:

(क) वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार;

(ख) गत वर्ष के तुलन-पत्रक तथा परीक्षित लेखा विवरण पर विचार;

(ग) अगले वर्ष के लिए लेखापरीक्षकों की नियुक्ति तथा उनका पारिश्रमिक निश्चित करना;

(घ) कार्यसूची के अन्य कार्य; तथा

(ङ.) ऐसे अन्य कार्य जो नियम 19 के प्रावधान के अनुसार पीठासीन अधिकारी की अनुमति से प्रस्तुत किये जायें।

15. सामान्य सभा की वार्षिक आम बैठक के उपरान्त चौदहवें दिन अथवा उससे पूर्व कार्य परिषद् के सदस्यों के नाम, पते तथा व्यवसायों की सूची संयुक्त पूँजी कम्पनी के पंजीयक को प्रेषित की जायेगी।

16. संस्थान के सभापति स्वेच्छा से कम-से-कम चौदह दिन की सूचना पर सामान्य सभा की विशेष बैठक बुला सकते हैं।

17. सभापति अथवा उसकी अनुपस्थिति में संस्थान के अध्यक्ष अथवा उन दोनों की अनुपस्थिति में संस्थान के महानिदेशक सामान्य सभा की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

18. सामान्य सभा की किसी भी बैठक के लिये संस्थान के पचास सदस्य गणपूर्ति (कोरम) स्थापित करेंगे।

19. बैठक आयोजन की सूचना में सम्मिलित कामकाज के अथवा ऐसे कामकाज, जिसकी सूचना महानिदेशक को सभा के कम-से-कम सात दिन पूर्व दी गयी है, के अतिरिक्त अन्य किसी विषय पर पीठासीन अधिकारी की अनुज्ञा के बिना विचार नहीं किया जायेगा।

20. सामान्य सभा में प्रत्येक प्रश्न का निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया जायेगा। सामान्य सभा के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा तथा मतों की संख्या समान होने पर पीठासीन अधिकारी का दूसरा अथवा निर्णायक मत होगा।

## **V. MEETINGS OF THE GENERAL BODY OF THE INSTITUTE**

14. The Annual General Meeting of the General Body shall be called by the Chairman of the Institute with the consent of the President of the Institute in the month of September or October every year after giving at least twenty one days' notice of the date, time, place and the general nature of business to be discussed at such meeting and shall transact the following business:

- (a) consideration of the Annual report;
- (b) consideration of the balance-sheet and the audited accounts for the outgoing year;
- (c) appointment of the Auditors for the ensuing year and fixing their remuneration;
- (d) other business on the agenda; and
- (e) such other business as may be brought forward with the permission of the presiding officer as provided in Rule 19.

15. On or before the fourteenth day succeeding the day on which the Annual Meeting of the General Body is held, a list shall be filed with Registrar of Joint Stock Companies, Delhi, of the names, addresses and occupations of the members of the Executive Council.

16. The President of the Institute may of his own accord call after notice of at least fourteen days, a Special Meeting of the General Body.

17. The President, or in his absence, the Chairman of the Institute, or in the absence of both, Director General of the Institute shall preside at the meeting of the General Body.

18. Fifty members of the Institute shall form a quorum for any meetings of the General Body.

19. No business other than the business included in the notice convening the meeting or business of which notice has been given to the Director General at least seven days before the date of the meeting, shall be discussed in the meeting except with the permission of the presiding officer.

20. Every question shall be decided by the General Body by a majority of those present. Every member of the General Body shall have one vote and in case of equality of votes, the presiding officer shall have a second or casting vote.

## VI. क्षेत्रीय शाखाएँ

21. (1) कार्य परिषद् किसी राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश या राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के वर्ग के लिये क्षेत्रीय शाखा तथा किसी राज्य अथवा केन्द्रशासित प्रदेश के अन्तर्गत किसी क्षेत्र के लिये एक अथवा अधिक स्थानीय शाखाओं का गठन करेगी अथवा करवायेगी।

(2) कार्य परिषद् द्वारा बनाए गए उपनियमों के उपबंधों के अधीन प्रत्येक क्षेत्रीय शाखा तथा स्थानीय शाखा अपना अध्यक्ष, सचिव तथा कोषाध्यक्ष नियुक्त करेगी तथा इन नियुक्तियों की सूचना महानिदेशक को देगी।

22. प्रत्येक क्षेत्रीय अथवा स्थानीय शाखा अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत संस्थान के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक तथा कार्य परिषद् द्वारा निर्मित उपनियमों के अनुरूप किसी भी क्रियाकलाप में संलग्न हो सकती है। प्रत्येक ऐसी क्षेत्रीय अथवा स्थानीय शाखा स्वयं अपना कार्यक्रम आयोजित करेगी तथा कार्य के अपने नियम बनाएगी और सामान्यतः भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली के निर्देशों तथा सुझावों के अनुसार अपने कार्यकलाप संचालित करेगी।

23. क्षेत्रीय तथा स्थानीय शाखाएँ अपने संबंधित प्रचालन क्षेत्रों के स्थानीय कानूनों के अंतर्गत स्वयं को चेरिटेबल/सार्वजनिक सोसाइटी/ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत करने के लिए भी स्वतंत्र होंगी, यदि वे ऐसा करने का निर्णय करती हैं। इससे उनकी भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली की शाखा होने की स्थिति पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली के इस शाखा से संबद्ध सदस्य यथातथ्य इस क्षेत्रीय/स्थानीय शाखा के सदस्य होंगे (जब तक कि वे इस क्षेत्रीय/स्थानीय शाखा के व्यक्तिगत रूप से प्रारंभिक पंजीकरण की अवस्था में क्षेत्रीय/स्थानीय शाखा से बाहर निकलने का निर्णय न लें) तथा ऐसी क्षेत्रीय/स्थानीय शाखा (जो व्यक्तिगत रूप से सोसाइटी/ट्रस्ट के रूप में पंजीकरण का निर्णय लेती है) में सदस्यों के प्रवेश तथा इसके लिए फीस आदि के भुगतान की प्रक्रिया, पूर्णतया भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली के वर्तमान नियमों/उपनियमों द्वारा, उसमें बिना किसी परिवर्तन के, शासित होगी। वर्तमान व्यवहार के अनुसार, इस सदस्यता के लिए क्षेत्रीय/स्थानीय शाखाओं को कोई पृथक् शुल्क देय नहीं होगा।

## **VI. REGIONAL BRANCHES**

21 (1). The Executive Council may constitute or cause to be constituted a Regional Branch for any State or Union Territory or a group of States/ Union Territories and one or more local Branches for any area within any state or Union Territory.

(2) Subject to the provisions of bye-laws made by the Executive Council, each Regional Branch and a Local Branch shall appoint its Chairman, its Secretary and its treasurer and shall notify the appointments to the Director General.

22. Each Regional or Local Branch may within its area of jurisdiction engage in any activities conducive to the attainment of the objects of the Institute consistently with the bye-laws made by the Executive Council. Each such Regional or Local Branch shall arrange its own programmes and frame its own rules of business and generally conduct its activities in accordance with the directions and suggestions of IIPA, New Delhi.

23. Regional and Local Branches will also be free to register themselves as Charitable/Public Societies/Trusts under the local laws prevailing within their respective areas of operation, if they so choose. This will not in any way affect their status as such Branch of the IIPA, New Delhi. Members of the IIPA, New Delhi affiliated to such Branch will be members of such Regional/Local Branches ipso facto (unless they individually choose to opt out of the Regional/Local Branch at the stage of the individual initial registration of such Regional/Local Branch) and the procedure for admission of member to such Local/Regional Branches (as may choose individual registration as a Trust/Society), and payment of fees therefore etc. will all continue to be fully governed by the existing rules/bye-laws of the IIPA, New Delhi for admission thereto without any changes therein. No separate fees will be payable to the Local/Regional Branches for such membership, as per existing practice.

## VII. शुल्क तथैव

24.(1) सदस्यता के लिये वार्षिक चन्दा 700 रु। कोई भी सदस्य, किसी भी समय वार्षिक चन्दे की राशि की दस गुना राशि के बराबर राशि का एकमुश्त भुगतान करके संस्थान का आजीवन सदस्य बन सकता है।

निगमित सदस्य किसी भी समय वार्षिक चन्दे की राशि की दस गुना राशि के बराबर राशि का एकमुश्त भुगतान कर बीस साल के लिये वार्षिक चन्दे की अपनी देयता संयोजित कर सकता है।

(2) वर्तमान सदस्यों के लिए वार्षिक निगमित सदस्यता चंदा 10,000 रु होगा । तथापि नए निगमित सदस्यों के प्रवेश के समय निगमित सदस्यता चंदा 50,000 रु होगा ।

(3) सह-सदस्यता तथा छात्र सदस्यता के लिये वार्षिक चन्दा 400 रु होगा।

(4) कम-से-कम 50,000 रु की राशि दान देने वाले सदस्य को 'दाता' सदस्य कहा जायेगा।

(5) वार्षिक चन्दे का भुगतान कैलेंडर वर्ष के आरंभ में अग्रिम रूप से किया जायेगा।

(6) कैलेंडर वर्ष के आरम्भ होने के बाद बनाए गए सदस्य उस वर्ष की अवशिष्ट तिमाही के आधार पर चन्दे का भुगतान करेंगे।

25. 1 अप्रैल, 1955 को अथवा उसके बाद सदस्यता के लिये आवेदन करने वाले व्यक्तियों को ऐसा प्रवेश शुल्क यदि कुछ हो, भुगतान करना पड़ेगा जो सामान्य सभा द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

26. किसी भी सदस्य का प्रवेश तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि उसके द्वारा देय वार्षिक अथवा आनुपातिक चन्दा तथा ऐसे प्रवेश के लिए प्रवेश शुल्क यदि कोई है, का भुगतान न हो गया हो।

## VIII. लेखा

27. संस्थान का मुख्यालय दिल्ली अथवा नई दिल्ली में होगा।

28. संस्थान के लेखों का परीक्षण सामान्य सभा द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा किया जायेगा।

29. निगमित सदस्य के अधिकारों का प्रयोग उनके द्वारा सदस्यता आवेदन-पत्र में प्राधिकृत प्रतिनिधि करेगा या उनकी तरफ से ऐसा प्रतिनिधि करेगा जिसकी अभिसूचना महानिदेशक को दी गयी हो।

## **VII. FEE AND SUBSCRIPTION**

24(1) The annual subscription for membership shall be Rs.700. A member may, at any time, become a life member by making a lumpsum payment equal to ten times the amount of annual Subscription.

(2) The annual subscription for Corporate Members shall be Rs.10,000 for existing members. However, the Corporate membership subscription shall be Rs.50,000/- at the time of admission for new Corporate Members.

(3) The annual subscription for Associate Membership and Student Membership shall be Rs.400.

(4) Members who pay a donation of not less than Rs.50,000 shall be called "Donor" Members.

(5) The annual subscription shall be payable in advance at the commencement of the Calendar year.

(6) Members admitted after the commencement of the calendar year shall pay subscriptions based on the number of residuary quarters of that year.

25. Persons applying for admission to membership on or after the 1<sup>st</sup> April, 1955 shall be liable to pay such entrance fee, if any, as may be determined by the General Body.

26. The admission of a member shall not be effective until the annual or proportionate subscription and the entrance fee, if any, payable by him for such admission have been paid.

## **VIII. GENERAL**

27. The headquarters of the Institute shall be at Delhi or New Delhi.

28. The accounts of the Institute shall be audited by the Auditors appointed for the purpose by the General Body.

29. The rights of a Corporate Member shall be exercised by its representative specified in the applications for membership or otherwise notified to the Director General in this behalf.

30. कोई भी ऐसा सदस्य जिसने संस्थान के नियमों का उल्लंघन किया हो अथवा जिसने किसी ऐसे नियम का पालन करने से इन्कार अथवा अवहेलना की हो अथवा जिसने कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे कार्य परिषद् के मत में संस्थान की अवमानना परिकलित अथवा संभाव्य हो तो उसे कम-से-कम इक्कीस दिन का नोटिस देने के उपरान्त इस प्रयोजन हेतु बुलाई गयी विशेष बैठक में कार्य परिषद् के उपस्थित तीन-चौथाई सदस्यों द्वारा पारित संकल्प से सदस्यता से हटाया जा सकता है ।

किन्तु ऐसा कोई भी संकल्प तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि संबंधित सदस्य को इस बैठक के कम-से-कम इक्कीस दिन पूर्व पंजीकृत पत्र (पावती सहित) द्वारा सभा की तारीख, समय, तथा स्थान और उन आधारों के बारे में जिनके कारण उनको संस्थान की सदस्यता से हटाया जाना प्रस्तावित है की सूचना न दी गयी हो तथा इस बैठक में कार्य परिषद् के सम्मुख अपने आचरण को लिखित में अथवा वैयक्तिक रूप से स्पष्ट करने का मौका न दिया गया हो ।

31. (1) जब तक कि कार्य परिषद् अन्यथा निर्णय न ले उस सदस्य का नाम संस्थान के सदस्यों की नामावली से हटा दिया जायेगा जिसका दो साल से भी अधिक का चन्दा बकाया है ।

(2) संस्थान के सदस्यों की नामावली से हटाए गए सदस्य का नाम केवल ऐसी धनराशि का भुगतान करने पर पुनर्स्थापित किया जायेगा जो कार्य परिषद् द्वारा प्रत्येक मामले में निर्धारित की जाये ।

32(1) संस्थान के नियमों में तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक इस प्रयोजन हेतु आयोजित सामान्य सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा ऐसा कोई संकल्प पारित नहीं किया जाता । तथापि, कार्य परिषद् की संरचना तथा सदस्यता परिवर्तनीय नहीं होगी ।

(2) संस्थान के नियमों में परिवर्तन के किसी भी प्रस्ताव पर सामान्य सभा द्वारा तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि इसका कम-से-कम 28 दिन का नोटिस महानिदेशक को न दिया गया हो तथा जब तक महानिदेशक द्वारा इसका कम-से-कम चौदह दिन का नोटिस सदस्यों को न दिया गया हो ।

30. Any member who has committed a breach of any of the Rules of the Institute or who has refused or neglected to abide by any of such Rule or who has committed any act which, in the opinion of the Executive Council is calculated or likely to bring discredit to the Institute may be removed from the membership of the Institute by a resolution of three-fourths of the members of the Executive Council present at a special meeting thereof convened for the purpose after at least twenty one days' notice:

Provided that no such resolution shall be passed unless the member concerned is informed by a registered letter (acknowledgement due) at least twenty-one days before such meeting of the date, time and place of the meeting and of the grounds on which it is proposed to remove him from membership of the Institute and is given an opportunity to explain his conduct to the Executive Council in writing or in person at such meeting.

31(1). The name of any member whose subscription falls in arrear for more than two years shall be removed from the Roll of Members of the Institute unless the Executive Council shall otherwise decide.

(2) The name of a member removed from the Roll of Members of the Institute may be restored thereto only on payment of such sum as the Executive Council may determine in each case.

32(1). The Rules of the Institute shall not be altered except by a resolution passed by a two-third majority of the members present at a meeting of the General Body convened for the purpose. However, the composition and membership of the Executive Council shall not be alterable.

(2) No proposal for alteration of the Rules of the Institute shall be considered by the General Body, unless at least twenty-eight days' notice thereof has been given to the Director General and unless at least fourteen days' notice thereof has been given by the Director General to the members.

33. यदि संस्थान के विघटन के समय इसके ऋणों तथा दायित्वों का भुगतान करने के उपरान्त कोई भी सम्पत्ति शेष बचती है तो यह संस्थान के सदस्यों को दी अथवा बाँटी नहीं जायेगी अपितु अविघटन के समय व्यक्तिगत रूप से अथवा परोक्ष प्रतिनिधित्व से उपस्थित सदस्यों के कम-से-कम 3/5 मतों द्वारा अथवा इसके अभाव में सक्षम न्यायालय द्वारा निर्धारित किसी अन्य संस्था को दे दी जायेगी ।

हम, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की कार्य परिषद् के चार अधोहस्ताक्षरधारी सदस्य यहाँ यह प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त कथित संस्थान के नियमों की सही प्रति है ।

13 मार्च 1954, नई दिल्ली

क्र.सं.	नाम	पद	हस्ताक्षर
	डा. ए.एन. सुखटणकर	मंत्रिमंडलीय सचिव तथा योजना आयोग, 3, क्वीन्सवे, नई दिल्ली ।	ह.
1.	ए.के. चंदा,	सचिव, उत्पादन मंत्रालय, 5, सुनहरी बाग रोड, नई दिल्ली ।	ह.
2.	एच.एम. पटेल,	सचिव, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय, 2 रॉबर्टस रोड, नई दिल्ली ।	ह.
3.	एच.एन. कुन्जरू,	सदस्य, राज्य सभा, 18 फिरोज़शाह रोड, नई दिल्ली	ह.
4.	साक्षी	बी.जी. मुर्देश्वर संयुक्त सचिव, विधि मंत्रालय, 14 रॉबर्टस लेन, नई दिल्ली ।	ह.

33. If upon the dissolution of the Institute, there shall remain after the satisfaction of its debts and liabilities any property whatsoever, the same shall not be paid to or distributed among the members of the Institute but shall be. given to some other society to be determined by the votes of not less than three-fifths of the members present personally or by proxy at the time of dissolution or, in default thereof, by a competent court.

We, the undersigned being four of the members of the Executive Council of Indian Institute of Public Administration, do hereby certify that above is a correct copy of the Rules of the said Institute.

This Thirteenth day of March, 1954, New Delhi.

<b>Sl. No.</b>	<b>Witness Names, Address and Occupation of four Members of the Executive Council</b>	<b>Signature</b>
1.	Y.N. Sukthankar Cabinet Secretary and Secretary, Planning Commission, 3 Queensway, New Delhi	Sd/-
2.	A.K. Chanda Secretary, Ministry of Production 5 Sonehri Bagh Road, New Delhi	Sd/-
3.	H.M. Patel Secretary Ministry of Food & Agriculture 2 Roberts Road, New delhi	Sd/-
4.	H.N. Kunzru Member Council of States 18 Ferozshah Road, New Delhi	Sd/-
	WITNESS B.G. Murdeshwar Joint Secretary, Ministry of Law, 14 Roberts Lane New Delhi	Sd/-